उप्र अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का रास्ता हुआ साफ

- प्राधिकरण गठन के लिए नियमावली मंजूर, जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियां भी तय हुईं

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : जल परिवहन और जल मार्ग को बढ़ावा देने और नदी किनारे स्थित तीर्थस्थलों के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण के गठन के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली-2025 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के आधार पर जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, सलाहकार समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों को नियमावली में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण के गठन से जहां जल मार्ग से व्यापार करना सस्ता होगा, वहीं यह परिवहन का सस्ता साधन भी बनेगा। यात्री और मालवाहक जहाजों के संचालन के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ेगा। जल परिवहन से प्रदेश के उत्पादों को बेहतर और सस्ती दरों पर देश के अन्य राज्यों और विदेश में निर्यात किया जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग के अलावा नए राज्य जलमार्गों का सृजन होगा। इससे नदियों का संवर्धन और संरक्षण भी होगा। परिवहन मंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। यदि मुख्यमंत्री किसी विशेषज्ञ को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं तो उनका अधिकतम कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। उपाध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्य पदेन होंगे। सदस्यों के वेतन व भत्ते पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा। प्रारंभिक वर्षों में प्राधिकरण में नियुक्त व तैनात होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या कम होगी। इससे हर साल अधिष्ठान पर पांच करोड़ रुपये व्यय होगा। प्राधिकरण आवश्यकतानुसार सलाहकार समिति का गठन करने के लिए विषय विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करेगा। प्राधिकरण को पोत के पंजीयन, नवीनीकरण, सर्वे और प्रदूषण प्रमाणपत्र देने से आय होगी। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र/राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ भी मिलेगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष ही बैठकों के प्रमुख होंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएंगी। प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट अनुमान तैयार करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण राज्य सरकार को अपना अनुपूरक बजट भी भेजेगा।